म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

(40)

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/1465 भोपाल दिनांक 29/06/12

आदेश

मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 26 (2) सहपठित धारा 81 (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, संचालक मंडल बोर्ड की 120 वीं बैठक दिनांक 29.03.12 प्रस्ताव क्रमांक–20 में पारित निर्णय के अनुपालन में राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम–1998, के विनियम 06 (पांच) मे **प्रयोगशाला प्रभारी और प्रयोगशाला सहायक की संविदा पर नियुक्ति के लिये सेवा शर्ते** निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :–

सेवा शर्ते :–

1. संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को एक वर्ष में 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिवस के एच्छिक अवकाश की पात्रता होगी।
2. महिला संविदा कर्मचारी को 90 दिवस का सवैतनिक मातृत्व अवकाश एवं पुरूष संविदा कर्मचारी को 15 दिवस के सवैतनिक पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी।
3. संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को एक निश्चित वेतन प्रतिमाह देय है इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि की पात्रता नहीं होगी।
4. **नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का निश्चित वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।** नियुक्ति कालावधि अधिकतम 03 वर्ष की होगी जो कार्य संतुष्टि के आधार पर बढ़ायी जा सकेगी।
5. प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड मुख्यालय के पत्र क्रमांक 405 दिनांक 22.12.11 द्वारा वर्तमान में प्रदेश की 26 मंडी समितियों में संविदा पर कार्यरत कार्यरत प्रयोगशाला प्रभारी, प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला वाहन चालक की संविदा अवधि कार्य समाप्ति दिनांक से नियमानुसार एक वर्ष बढ़ाई गई है। उक्त संविदा कर्मी की बढ़ाई गई एक वर्ष की अवधि समाप्ति दिनांक के पश्चात् इस बावत् निर्मित की गई समिति द्वारा कर्मचारी के कार्यो का समीक्षा कर गुण दोष के आधार पर अधिकतम आगामी तीन बर्ष के लिये नियुक्ति कालावधि बढायी जा सकेगी।

6. संविदा कर्मचारी को शासकीय कार्य से यात्रा करने पर तृतीय कर्मचारी के समान यात्रा भत्ते की सुविधा शासन के नियमानु देय होगी।

7. संविदा पर नियुक्त कर्मी को समय–समय पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौपे गये सभी कार्यालयीन कार्य भी संपादित करना होगें।

8. म.प्र.शासन द्वारा समय–समय पर संविदा नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश/संशोधन लागू एवं बंधनकारी होगें।

9. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार बिना किसी विशेष कारण के और किसी बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को कदाचार या किसी आपराधिक कियाकलापों/ आपराधिक प्रकरण पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी को अनुबंध पर नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार होगा।

11. संविदा पर नियुक्त कर्मी को उसकी अनुबंध कलावधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, बोनस, आदि सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।

12. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति भविष्य में नियमितिकरण संबंधी किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकेगा और न ही इस संबंध में कोई कार्यवाही प्रस्तुत कर सकेगा।

13. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कर्मी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के बगैर कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

14. संविदा पर नियुक्ति के दौरान अन्य किसी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

15. संविदा पर नियुक्त कर्मी को आधारभूत एवं उसके कार्यभार से संबंधित प्रशिक्षण में आनिवार्यतः भाग लेना होगा।

16. संविदा पर नियुक्त के समय अभ्यार्थी द्वारा रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम पेपर करार निष्पादित करना होगा, करार के निष्पादन पर होने वाले व्यय अभ्यार्थी द्वारा वहन किया जावेगा जिसमें प्रथम पक्ष अभ्यार्थी एवं द्वितीय पक्ष सचिव कृषि उपज मण्डी समिति/संयुक्त संचालक या उपसंचालक मंडी बोर्ड आंचलिक कार्यालय होगे।

17. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त अभ्यार्थी को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति पश्चात् यदि प्रस्तुत दस्तावेज सत्यापन में फर्जी पाये गये तो नियमानुसार एकतरफा सेवाऐं समाप्त कर दी जावेगी।

18. विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और नियुक्तकर्ता पर बन्धनकारी रहेगा।

टीप :—सेवाशर्त कमांक 04 में कार्य संतोषप्रद प्रतिस्थापित करने के मापदण्ड पर संविदा कर्मियों की भर्ती के लिये निर्धारित गठित समिति ही कार्य संतुष्टि और कालावधि में वृद्धि बावत् निर्णय ले सकेगी।

उक्त प्रावधान दिनांक 29.03.2012 से प्रतिस्थापित होगा।

(अजातशत्रु श्रीवास्तव)
प्रबंध संचालक
म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

भोपाल दिनांक 29/06/12

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/1566

प्रतिलिपि :—

1 विशेष सहायक माननीय कृषि मंत्री सह अध्यक्ष, मंडी बोर्ड भोपाल।

2 **निज सचिव, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड भोपाल।**

3 **अपर संचालक/संयुक्तसंचालक/मुख्यअभियंता/अधीक्षण यंत्री मंडी बोर्ड मुख्यालय, भोपाल।**

4 संयुक्त संचालक/उपसंचालक/कार्यपालन यंत्री/सहायक संचालक (समस्त) मण्डी बोर्ड मुख्यालय एवं आंचलिक कार्यालय भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/सागर /जबलपुर ग्वालियर/रीवा।

5 लेखाधिकारी/सहायक संचालक/अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी (समस्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

6 भारसाधक अधिकारी/सचिव/अध्यक्ष कृषि उपज मण्डी समिति, ...(समस्त)

7 सूचना पटल/आदेश नस्ती/बोर्ड बैठक शाखा/पटल प्रभारी (समस्त)

सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।

प्रबंध संचालक
म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

JAIN-4-3